



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 297 राँची, बुधवार,

24 मई, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

16 मई, 2023

सं0सं0-16/खाद्य (स्था0)-01-07/2022-78(16)--विभागीय अधिसूचना संख्या-05(16) दिनांक-11.01.2023 द्वारा श्री चंदन प्रसाद कश्यप, औषधि निरीक्षक, धनबाद-II (अतिरिक्त प्रभार औषधि निरीक्षक, देवघर-II) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दुमका द्वारा दिनांक-08.12.2022 को न्यायिक हिरासत में उत्प्रेषित किये जाने के कारण झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत दिनांक-08.12.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर B.A. No.&1949 of 2023 Chandan Kashyap@ Chandan Prasad Kashyap Vs. The State of Jharkhand through Anti-Corruption Bureau विषयक वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-15.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में श्री कश्यप को जमानत पर रिहा किया गया है।

B.A. No.&1949 of 2023 Chandan Kashyap@ Chandan Prasad Kashyap Vs. The State of Jharkhand through Anti-Corruption Bureau विषयक वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-15.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में जमानत पर रिहा करने के फलस्वरूप श्री कश्यप द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त श्री चंदन प्रसाद कश्यप, औषधि निरीक्षक सम्प्रति निलंबित को निलंबन मुक्त करते हुए औषधि निरीक्षक गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कश्यप औषधि निरीक्षक, पलामू-1 के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सीमा कुमारी उदयपुरी,
सरकार के संयुक्त सचिव
